

प्रपत्र-19

परियोजना विवरण :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अर्न्तगत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अर्न्तगत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणघार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 1.3.8-2018 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित सिविल बेनाप भूमि, वन भूमि, आरक्षित भूमि, वन पंचायत भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

व्यास वर्ग										योग			
क्र सं०	भूमि की श्रेणी	वन / कम्पार्टमेंट / खसरा सं०	प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	
1	आरक्षित वन भूमि			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग													
2	सिविल सोयम												
योग													
3	वन पंचायत भूमि	कभराड़	चीड़	-	10	5	11	4					30
		कभराड़	सिरस	5	7	3	-	-	-	-	-	-	15
योग				15	12	14	4						45
4	नाप भूमि	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग												
कुल योग				15	12	14	4						45

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है। परियोजना में 0-10 व्यास वर्ग के कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं है एवं 10-20 व्यास वर्ग के वृक्षों को अन्य स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

हय प्रशानीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा जिला प्रभाग, अल्मोड़ा

दलमोड़ी वनाधिकारी
जिला अल्मोड़ा

हय जिलाधिकारी
अधिकारसंग (अल्मोड़ा)

हय जिलाधिकारी
सुपुर्नि, अल्मोड़ा

प्रशानीय वनाधिकारी

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दलमोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

राजस्व विभाग

जिलाधिकारी
जिला अधिकारी अल्मोड़ा

प्रारूप-20

परियोजना विवरण :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अर्न्तगत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अर्न्तगत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणघार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।

आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि / संरक्षित वन भूमि / नाप भूमि
(**बने पंचायत भूमि**)

क0सं0	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
	चीड़	10-20	10	20.00	200.00
		20-30	5	310.00	155.00
		30-40	11	1050.00	11550.00
		40-50	4	2775.00	9900.00
	सिरस	10-20	5	50.00	250.00
		20-30	7	150.00	1050.00
		30-40	3	390.00	1170.00
	योग		45		25670.00

**वन क्षेत्राधिकार
हाराष्ट्र अधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रसाय अल्मोड़ा**

**प्रसाय वनक्षेत्री,
अल्मोड़ा वन प्रसाय, अल्मोड़ा**

**वन प्रसाय वनक्षेत्री,
अल्मोड़ा वन प्रसाय, अल्मोड़ा**

अ.पी.एम.

प्रपत्र-20.1

परियोजना विवरण :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अर्न्तगत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अर्न्तगत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणघार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्रसं	क्षेत्र का नाम	व्यास वर्ग								
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	
0							0			
1	आरक्षित वन भूमि									
2	सिविल सोयम									
3	वन पंचायत, कमराड योग		15	12	14	4				15
			15	12	14	4				45
4	नाप भूमि कुल योग									

Ans
दल क्षे.नाधिकारी
राजि.अधिकारी क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग, दलमोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा

Ans
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रारूप-21

परियोजना विवरण :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अर्न्तगत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अर्न्तगत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणघार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

क0सं0	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
	आरक्षित वन भूमि			
	सिविल सोयम			
	वन पंचायत	45	45	
	संरक्षित वन			
	योग :- वन भूमि			
	नाप भूमि			
	कुल योग :-	45	45	

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 45 वृक्षों

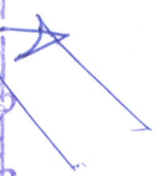
में से वास्तविक रूप से केवल 45 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


अधिक्षेत्री अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत


प्रभागीय कुसाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत


वन कुसाधिकारी,
आराहाट वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा


उप प्रभागीय कुसाधिकारी,
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा


अ.प्र.सि.ग.र.

कार्य का नाम :- सिनार मोटर मार्ग से बहेडा रहणधार चौनिया से दल्मोडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण

के विकास कार्यो हेतु निर्माण के दौरान वन भूमि में विद्यमान 10-20 व्यास के चीड़ वृक्षों का अन्यत्र रोपण हेतु आकलन

क0सं0	कार्य का विवरण	संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई	मात्रा	आयटम क्रमांक	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पौध स्थानान्तरित कर रोपित करने हेतु गढा खोदना (10-20 व्यास)	15	1.50	1.50	1.50	50.63	11-1-1-3 road pwd item	256.90	13005.56
2	गढहे में रोपण स पूर्व कीटनाशक/उर्वरक/जैविक खाद डालना (खाद, उर्वरक एवं कीटनाशक के मूल्य सहित)	15				15.00		50.00	750.00
3	पूर्व स्थित वृक्ष को निकालने हेतु चारो ओर सावधानी से खोदना (10-20 व्यास)	15	1.50	1.50	1.50	50.63	11-1-1-3 road pwd item	230.10	11648.81
4	उक्त उखाड़े गये वृक्षों की मानवीय/मशीन से परिस्थिति अनुसार ढुलान कर रोपित किये जाने वाले स्थान पर सुरक्षित लाना (औसत 500 मी0) वृक्ष का Mother soil के साथ अनुमानित वजन 4.00 कुन्तल (10-20 व्यास)					15.00	LS	200.00	3000.00
5	उक्त उखाड़े गये वृक्षों की सिचाई हेतु पानी की व्यवस्था करना मय थावला बन्दी आदि (10-20 व्यास)					15.00	LS	60.00	900.00
6	रोपित किये गये वृक्षों की सिचाई हेतु पानी की व्यवस्था करना 02 अकुशल श्रमिक प्रति हैक्टेयर/प्रति दिन (लगातार 15 दिन तक पानी ढुलान कर सिचाई करना)	2 labours per day	15.00			30.00	labour	229.00	6870.00
7	पानी के ढुलान हेतु परिस्थिति अनुसार व्यवस्था (ट्रक/टैंकर आदि किराया)	15 days 2 hours per day				45.00	LS	200.00	9000.00
योग									45174.38

प्रति हैक्टेयर पौधों की संख्या	80
प्रति हैक्टेयर रोपण की कुल अनुमानित लागत रू0 में	240930.00
प्रति पौध अनुमानित व्यय रू0 में	3011.63

नोट:- 1. 10-20 व्यास के पौधों के प्रत्यारोपण एवं उन्हें 15 दिन तक लगातार पानी देने से वृक्ष नये सीन पर जड़ पकड़ लेंगे जिस कारण रोपण क्षेत्र परिधि में सुरक्षा दीवाल एवं चौकीदार की आवश्यकता नहीं होगी।

2. प्रत्यारोपित पौधों की अक्की बढ़त एवं जीविता प्रतिशत के मध्येनजर उक्त कार्य वर्षाकाल में प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।

प्रधान/सरपंच की सहमति का प्रस्ताव आवश्यक होगा।

Ormk
वन क्षत्राधिकारी
बाणहाट वन क्षेत्र
दल्मोडी वन प्रभाग दल्मोडी

उप प्रभानीय वनक्षेत्री
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा

20/05/2024
20/05/2024